

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
के अन्वये के लिए राज्य वन विभाग की
प्रतिकूल राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(जब देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर